उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
सं0-134/XXVII(8)/वाणि0कर(वैट) /2009
दिनांकः देहरादूनः फरवरी 26 ,2009

अधिसूचना

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा(3) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर(निधि) नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम, एवं प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर(निधि) नियमावली, 2009 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाऐं 2. जब तक इस सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–
(क) "समिति" से नियम 4 के उपनियम(1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
(ख) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 अभिप्रेत है;
(ग) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है।

निधि की धनराशि का उपयोग 3. (1) निधि में उपलब्ध धनराशि का उपयोग, अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
(2) निधि की धनराशि पर प्रोद्भूत ब्याज की धनराशि निधि में सम्मिलित की जायेगी तथा उसका उपयोग उपनियम (1) के अनुसार किया जायेगा।

निधि के उपयोग की रीति 4. (1) निधि में धनराशि के उपयोग की मदों एवं मानदण्डों का अवधारण ऐसी समिति द्वारा किया जायेगा जिसे उत्तराखण्ड व्यापार विकास निधि प्रबन्धन समिति के रूप में जाना जाएगा जिसमें निम्नलिखित होंगे–
(1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन –अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य

8353
27/02/09
27.02.09

New Vigyapti/ Parvesh kar Niyamavali/DT

-1-

(5) प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	–सदस्य
(6) प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन	–सदस्य
(7) प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन	–सदस्य
(8) प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	–सदस्य
(9) सचिव/अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	–संयोजक

(2) बैठकों की प्रक्रिया, जिसमें अन्तराल, गणपूर्ति आदि शामिल हैं, ऐसी होगी, जैसी समिति द्वारा स्वयं निश्चित की जाय।

(3) समिति आवंटित मदों/ कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करेगी।

(4) सम्बन्धित विभागों का यह दायित्व होगा कि वे निधि से समिति द्वारा उनके लिए आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग करें, जिसके लिए वे निरन्तर अनुश्रवण करेंगे और राज्य सरकार के वित्त विभाग को मासिक भौतिक एंव वित्तीय रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

(5) समिति निधि के लेखों का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करेगी।

लेखों के शीर्ष और वित्तीय प्रक्रियाऐं 5. (1) अधिनियम के अधीन प्रवेश कर के उद्ग्रहण के आगम को लेखों के निम्नलिखित शीर्ष में जमा किया जायेगा, जैसी उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1999(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अधीन व्यवस्था है:–

0040– बिक्री, व्यापार आदि पर कर।
102– राज्य वाणिज्य कर अधिनियम के अधीन प्राप्तियाँ।
05– उत्तराखण्ड माल के प्रवेश पर कर के अधीन प्राप्तियाँ।
01– कर संग्रह।
02– प्रवेश कर के अधीन निबन्धन पर फीस।

(2) लेखा के उपर्युक्त शीर्ष के अधीन प्रवेश कर की कुल वार्षिक प्राप्तियों को उत्तराखण्ड व्यापार विकास निधि में बजट व्यवस्था के माध्यम से राज्य सरकार के लोक लेखा के निम्नलिखित शीर्षों में विनियोग किया जायेगा:–

8229– विकास और कल्याण निधि।
200– अन्य विकास और कल्याण निधि।
01– उत्तराखण्ड व्यापार विकास निधि।

(3) निधि से कार्यों के लिए बजट व्यवस्था वित्त विभाग के अनुदान संख्या 07 में की जायेगी।

(4) निधि के लेखों का अनुरक्षण महालेखाकार उत्तराखण्ड और वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा। समिति को समय–समय पर या जब अपेक्षित हो, उसके विषय में सूचित किया जायेगा।

(5) निधि से आवंटित धनरशि का उपयोग समिति द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों /मदों के लिए किया जायेगा। यदि मदों के विभिन्न शीर्षों के अधीन आवंटित धनराशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक खर्च नहीं किया जाये तो अवशेष धनराशि को अभ्यर्पित किया जायेगा और उसके सम्बन्ध में सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) उत्तराखण्ड व्यापार विकास निधि की प्राप्तियाँ और खर्च महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा लेखा बही में रखे जायेंगे।

(7) निधि के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा की जायेगी।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त।

संख्या– 134 /XXVII(8) /वाणिज्य कर(वैट) / 2009 तद्दिनांक
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1– उत्तराखण्ड व्यापार विकास निधि प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त निधि नियमावली की सूचना सभी प्रमुख व्यापारी संगठनों, टैक्स बार संघों व विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित करके इसकी 250–250 प्रतियां वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सी०एस०सेमवाल)
अपर सचिव, वित्त।

New Vigyapti/ Prarup kar Niyamavali/07

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 134 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2009 dated 26 February, 2009 for general information.

Government of Uttarakhand

VITTA VIBHAG

NO. 134 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2009

Dehradun :: Dated :: February , 26 , 2009

Notification

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India, read with sub-section(3) of section 14 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008, the Governor is pleased to make the following rules-

The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas (Fund) Rules, 2009

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas(Fund) Rules, 2009.

(2) They shall come into force with immediate effect.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) **"Committee"** means the committee constituted under sub-rule (1) of rule 4.

(b) **"Act"** means the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008.

(c) the words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Utilization of fund

3. (1) The amount available in the Fund shall be utilized for the purposes provided under section 14 of the Act.

(2) Interest accrued on the fund amount shall be included in the Fund and shall be utilized in accordance with sub-rule (1).

Manner of utilization of fund

4. (1) The determination of the items and criteria of the utilization of the Fund shall be done by a Committee which shall be called the Uttarakhand Trade Tax Development Fund Managing Committee comprising the following-

(1) Chief Secretary, Uttarakhand -Chairman

(2) Principal Secretary, Finance, Uttarakhand -Member

(3) Principal Secretary / Secretary, Urban Development, Uttarakhand -Member

(4) Principal Secretary /
Secretary, Panchyatiraj, Uttarakhand -Member

(5) Principal Secretary /
Secretary, Public Work Department,
Uttarakhand -Member

(6) Principal Secretary / Secretary, Energy,
Uttarakhand -Member

(7) Principal Secretary / Secretary,
Pey jal, Uttarakhand -Member

(8) Principal Secretary / Secretary,
Rural Development, Uttarakhand -Member

(9) Secretary / Additional Secretary, Finance
Uttarakhand -Convener

(2) The procedure of the meetings including interval and quorum etc. shall be such as determined by the Committee itself.

(3) The Committee shall monitor the physical and financial progress of the allotted items/ works.

(4) It shall be the responsibility of concerned departments to properly utilize the amount allotted for them from the Fund by the Committee for which they shall monitor and forward the monthly physical and financial report to the finance department of the State Government.

(5) The Committee shall ensure proper maintenance of the accounts of the Fund.

Heads of accounts and financial processes

5. The proceeds of the levy of Entry Tax under the Act shall be deposited under the following heads of account as provided in The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Rules, 1999 (as applicable to the State of Uttarakhand):-

0040- tax on sale, trade etc.

102- receipts under State Commercial Tax Act.

05- receipts under Uttarakhand Tax on Entry of Goods.

01- collection of tax.

02- registration fees under entry tax.

(2) The gross annual receipts of entry tax under the above heads of account shall be appropriated in the following heads of public account of the State Government through budget provision:-

8229- development and welfare fund.

200- other development and welfare fund.

01- Uttarakhand trade development fund.

(3) Budget provision for works from the Fund shall be made in grant No. 07 of the finance department.

(4) Monitoring of the fund accounts shall be done by the Accountant General, Uttarakhand and the finance department. Information about it shall be given to the Committee from time to time or when required.

(5) The amount allotted from the Fund shall be utilized by the Committee for approved purposes / items. If the amount allotted under different heads of Account of the items is not utilized till the end of the financial year the balance amount shall be surrendered and information thereof shall be made available to the Accountant General, Uttarakhand.

(6) The receipts and expenditure of the Uttarakhand Trade Development Fund shall be kept in the books of accounts of the Accountant General, Uttarakhand.

(7) The audit of accounts of the Fund shall be done by the Accountant General, Uttarakhand.

(ALOK KUMAR JAIN)
PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE